राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 19012/2023

1. बाबूलाल पुत्र गेबाजी, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी गाँव और डाकघर मंगलवा, तहसील सायला, जिला जालौर। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक भेरू जैन पुत्र श्री मानमलजी जैन के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 66 वर्ष है, आर/ओ गाँव और डाकघर पोषाणा, तहसील सायला, जिला जालौर।

2. ताराचंद जैन पुत्र श्री मनोहरमल जैन, आयु लगभग 79 वर्ष, निवासी ग्राम और डाकघर सुराना, तहसील सायला, जिला जालौर। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक भेरू जैन पुत्र श्री मानमलजी जैन के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 66 वर्ष है, आर/ओ गाँव और डाकघर पोषाणा, तहसील सायला, जिला जालौर।

3. भेरू जैन पुत्र श्री मानमलजी जैन, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी गाँव और डाकघर पोषाणा, तहसील सायला, जिला जालौर।-----याचिकाकर्ता।

बनाम

श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (न्यास), भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालौर अपने अध्यक्ष और न्यासियों के माध्यम से -

1. श्री जयरत्नसूरीश्वरजी चेला श्री शांतिविजयजी ट्रस्ट के प्रमुख, निवासी श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (ट्रस्ट) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालौर

2. रमेश कुमार पुत्र श्रीमनोहरमलजी, निवासी पाथेड़ी, अध्यक्ष श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (न्यास) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ तहसील सायला, जिला जालौर

3. जुगराज पुत्र श्रीकुंभाजी बाफना, निवासी उंडरी, वर्तमान में उपाध्यक्ष श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (ट्रस्ट) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालौर।

4. दुदमल पुत्र श्री मिश्रीमलजी पालगोटा चौहान, निवासी सुराना वर्तमान में खजांची श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (ट्रस्ट) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालौर।

5. काजुमल पुत्र श्री ओतमलजी सांघवी ,निवासी कोमटा, वर्तमान में मंत्री श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (ट्रस्ट) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालौर।

6. नेनमाल पुत्र साहेबचंदजी बालगोटा निवासी मेनीगवा वर्तमान में श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (न्यास) के सदस्य हैं। भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालौर।

7. जुगराज पुत्र गुटराजजी छत्रियावोरा, वर्तमान में सदस्य श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (न्यास), निवासी भांडवपुर मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालौर।

8. श्रीमल पुत्र श्रीमदनलाल रणमलजी, निवासी दादल, वर्तमान में सदस्य श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (न्यास) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालौर।

9. पृथ्वीराज पुत्र श्री दूधमलजी निमाड़ी, निवासी पोषाणा, वर्तमान में श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (न्यास) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालौर।

10. मीठालाल पुत्र श्री गलबाजी संकलेचा, निवासी मंगलवा, वर्तमान में सदस्य श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी (ट्रस्ट) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालौर।

11. ललित कुमार पुत्र श्री गेबीचंदजी जैन, निवासी जीवना, वर्तमान में सदस्य श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेड़ी (ट्रस्ट) भांडवपुर तीर्थ, मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालौर।

श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालौर अध्यक्ष और न्यासियों के माध्यम से।

12. श्री जयरत्नसूरीश्वरजी चेला श्री शांतिविजयजी (न्यास के प्रमुख), श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्य न्यास (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालौर।

13. मूलचंद पुत्र सुखराजजी, निवासी मेंगलवा, वर्तमान में अध्यक्ष श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालौर।

14. हीराचंदजी के पुत्र परसामल, निवासी ददल, वर्तमान में उपाध्यक्ष श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्य न्यास (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालौर।

15. दादमचंद पुत्र जुगराजजी ओबानी, निवासी पोशाना, वर्तमान में कोषाध्यक्ष श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

16. मदनराज पुत्र गेबचंदजी छत्रियावोरा, निवासी जीवना वर्तमान में मंत्री/सचिव श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

17. नरपराज पुत्र सरेमलजी गांधीमुथा, निवासी सुराणा, वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेन्द्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम

पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

18. कांतिलाल पुत्र सौकलचंदजी हुकमानी,निवासी होपांथेडी, वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

19. भानमल पुत्र मुल्तानमलजी बाफना, निवासी पांथेडी वर्तमान सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ,तहसील सायला, जिला जालोर।

20. सरूपचंद पुत्र बाबुलजी संकलेचा, निवासी मेंगलवा,वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

21. उत्तमचंद पुत्र खुशालचंदजी दामरानी, निवासी मेंगलवा, वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

22. भैरूलाल पुत्र मांगीलालजी पलगोता चौहान, निवासी होठंदी वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ), मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

23. बाबूलाल पुत्र घेवरचंदजी मुडोत, निवासी तिलोदा, वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ), मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

24. अशोक कुमार पुत्र गैबीचंदजी गुलेच्छा, निवासी जीवना, वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

25. दयालाल पुत्र मनोहरमलजी वाणीगोटा, निवासी तिलोड़ा वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर।

26. सूरजमल पुत्र मनोहरमलजी अण्डानी, निवासी सुराणा वर्तमान में सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ)

मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला जिला जालोर।

27. राजीव कुमार पुत्र पृथ्वीराजजी झोटा, निवासी दादल, वर्तमान सदस्य श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट (संघ) मुकाम पोस्ट भांडवपुर तीर्थ, तहसील सायला, जिला जालोर--------प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री सी.एस. कोटवानी सहित सुश्री स्वाति शेखर।

माननीय जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

05/02/2024

1. हालाँकि इस मामले को 'फ्रेश' श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन आखिरकार आज ही इस मामले की सुनवाई हुई।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई है जिसमें निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया हैः "(i) मामले का रिकॉर्ड कृपया मांगा जा सकता है; (ii) दिनांकित 04.11.2023 आदेश को रद्द करने और अलग करने का आदेश दिया जा सकता है और प्रत्यर्थियों पर तामील को कृपया पर्याप्त माना जा सकता है और यह आगे प्रार्थना की जाती है कि वैकल्पिक रूप से, मामले को जिला न्यायाधीश, जालौर से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया जा सकता है, ताकि कानून की प्रक्रिया के साथ-साथ न्यायालय के दुरुपयोग को रोका जा सके। (iii) प्रत्यर्थियों को कृपया मंदिर के प्रबंधन में कोई भी गतिविधि करने से

रोका जा सकता है। (iv) मुकदमेबाजी और हर्जाने की लागत भी याचिकाकर्ता के पक्ष में दी जा सकती है। (v) कोई अन्य उचित रिट या आदेश या निर्देश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के लिए अनुकूल हो, कृपया याचिकाकर्ता को दिया जा सकता है।"

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने मंदिरों की पुरानी संरचनाओं को बनाए रखने के लिए प्रत्यर्थियों के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया है और यह कि तथाकथित स्व-शैली गुरु जयरतन सुरेश्वर जी, जिन्होंने 2018 में श्री वर्द्धमान राजिंदर जैन भदवजी ट्रस्ट के नाम पर प्रतिवादियों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के लिए कोई चुनाव नहीं होने के कारण ट्रस्ट का पूरा प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था, को उनके पद से हटा दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने विद्वत निचली अदालत द्वारा नियुक्त व्यक्ति की देखरेख में ट्रस्ट की पूरी संपत्ति के साथ खाते को प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया और ट्रस्ट के लिए चुनाव कराने का भी अनुरोध किया। यह उल्लेख करना भी उचित है कि उत्तरदाता नं. 12 से 27 इस न्यास के न्यासी हैं।

4. मुकदमे के जवाब के साथ-साथ अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के संबंध में, विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 30.01.2023 और 04.11.2023 (अनुलग्नक 3 और 4) को नोटिस जारी किए, जिसमें यह देखा गया कि प्रतिवादी/प्रतिवादी नं. 2 से 11,13 से 27 पूर्ण नहीं थे।

5. याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 04.11.2023 के आदेश से

व्यथित होकर इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि समन की तामील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 9 के अनुसार पूर्ण है क्योंकि समन की तामील श्री जयरतन सुरेश्वरजी के साथ-साथ प्रबंधक को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दी गई थी, इस प्रकार समन को उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों को विधिवत रूप से दिया गया कहा जा सकता है। प्रासंगिक प्रावधान को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"13. अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी व्यवसाय करता है-(1) किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यवसाय या काम से संबंधित मुकदमे में जो उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं रहता है जिससे समन जारी किया जाता है, किसी भी प्रबंधक या एजेंट पर तामील, जो तामील के समय, व्यक्तिगत रूप से ऐसे सीमा के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवसाय या काम करता है, उसे अच्छी तामील माना जाएगा। (2) इस नियम के प्रयोजन के लिए जहाज के स्वामी को मालिक या किराएदार का प्रतिनिधि माना जाएगा।

7. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी नं. 1 से 12 श्री राजेंद्र कछावा द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर पीठासीन अधिकारी के साथ मिलीभगत का आरोप है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि इस संबंध में इस माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की गई है।

8. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पीठासीन अधिकारी ने एक, मोहम्मद परवेज को स्वापक औषधि और अप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत आपराधिक विविध (जमानत) मामले में 98/2023 में 27.03.2023 (अनुलग्नक-6) के आदेश के अनुसार जमानत दे दी है। इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ अनुमेय वाणिज्यिक मात्रा से अधिक था, वह आगे प्रस्तुत करती है कि इस तरह का आदेश दिनांक 27.03.2023 (अनुलग्नक-6), पीठासीन अधिकारी द्वारा इस तथ्य के बावजूद पारित किया गया है कि यह माननीय न्यायालय इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार करता है। वह यह भी प्रस्तुत करती है कि दिनांक 27.03.2023 (अनुलग्नक-6) के उक्त आदेश के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की ओर से पेश हुए वकील श्री राजिंदर कछावा भी प्रतिवादियों/प्रतिवादि 1 से 12 की ओर से उपस्थित होते हैं। तत्काल मामले में, इस प्रकार पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त के वकील के साथ मिलकर अभियुक्त को जमानत दे दी।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि समन भेजने के बावजूद, पीठासीन अधिकारी, वकील, श्री राजिंदर कछावा के साथ मिलीभगत करके, संबंधित या उनके परिवार के सदस्यों पर तामील को पूर्ण नहीं मान रहे हैं। वह यह भी प्रस्तुत करती है कि इस प्रकार, इन परिस्थितियों के मद्देनजर, निचली अदालत की निष्क्रियता स्थिति को अराजक बना देगी और संपत्तियों की विरासत और विचाराधीन मंदिर के खातों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाएगी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना, रिकॉर्ड पर

उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ बार में उद्धृत निर्णय अध्ययन किया।

10. यह देखा गया है कि विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश ने अपने दिनांक 04.11.2023 (अनुलग्नक-4) के आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने श्री जयरतन सुरेश्वरजी और श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भदवाजी ट्रस्ट, भदवपुर के प्रबंधक को ट्रस्ट के माध्यम से मामले में पक्षकार नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार बनाया गया है और इसलिए, क्योंकि प्रतिवादी/प्रतिवादी नं. 2 से 11 और 13 से 27 को व्यक्तिगत रूप से तामील दी जाती है, आवेदन खारिज कर दिया गया है।

11. इस न्यायालय ने पाया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने कहा है कि उत्तरदाताओं के संबंध में कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार नं. 2 से 11 और 13 से 27 तक, श्री जयरतन सुरेश्वरजी और न्यास के प्रबंधक उत्तरदाताओं के लिए उल्लिखित पते पर उपस्थित थे। नं. 2 से 11 और 13 से 27, जिन्होंने सूचित किया कि ये प्रतिवादी पेशावर में रह रहे थे और उन्हें नोटिस स्वीकार करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नोटिस को चिपकाने की अनुमति भी नहीं दी। विद्वत विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि इन प्रत्यर्थियों को उनकी अपनी क्षमता में पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया गया है और ट्रस्ट के अध्यक्ष/प्रबंधक के माध्यम से शामिल नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का अनुरोध है कि प्रत्यर्थियों पर ऐसी नं. 2 से 11 और 12 से 27 को तामील के रूप में माना जाना चाहिए, अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। विद्वत विचारण

न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि आदेश 5 नियम 9 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उत्तरदाता नं. 2 से 11 और 13 से 27 को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में शामिल किया गया है, न कि किसी ऐसे अभिकर्ता के माध्यम से जो समन की तामील स्वीकार करने के लिए सशक्त है, इस प्रकार यह घोषित नहीं किया जा सकता है कि समन प्रत्यर्थियों को विधिवत दिए गए हैं। इस प्रकार, विद्वत विचारण न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि चूंकि उत्तरदाता संख्या 2 से 11 और 12 से 27 को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में शामिल किया गया है, इसलिए यह घोषित नहीं किया जा सकता है कि तामील पूर्ण है और इस प्रकार विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 04.11.2023 आदेश में किसी अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है।

12. इस अदालत ने आगे पाया कि याचिकाकर्ता ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं की आशंका केवल समन की तामील को पूर्ण मानने के संबंध में किए गए अनुरोध से उत्पन्न होती है, जिसे राजकोट में पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यदि विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाता है और यदि याचिकाकर्ता इससे व्यथित हैं, तो उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक क्षमता में इसे चुनौती देने का अधिकार है। किसी भी न्यायिक अधिकारी द्वारा अपनाए गए किसी भी कदम या आदेश की औचित्य या शुद्धता उच्च न्यायालय की अधिकारिता के लिए उत्तरदायी है। मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीठासीन अधिकारी विपरीत वकील के साथ हाथ मिला रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका

में यह भी अनुरोध किया है कि जालौर बार द्वारा एक शिकायत दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीठासीन अधिकारी वकील के साथ है और यह राजस्थान के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। यदि कोई शिकायत दायर की जा रही है और राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लंबित है तो बार और व्यक्तिगत वकीलों के अधिकार न्यायिक पक्ष में अभिवचन के लिए आधार नहीं बन सकते हैं। पीठासीन कार्यालय के खिलाफ आरोप नहीं लगाने के लिए एक वकील को सभी संयम बनाए रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन विशेष तथ्यों और प्रावधानों में आदेश का लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। न्यायिक अधिकारियों पर आक्षेप लगाना एक ऐसी प्रथा है जिसका गंभीर रूप से अवमूल्यन किया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से जब न्यायिक आदेशों को चुनौती दी जाती है। सही परिप्रेक्ष्य में निर्णय के आलोचनात्मक विश्लेषण की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन यदि अनुमति दी जाती है तो न्यायाधीश पर आरोप लगाना न्याय प्रणाली की जड़ पर प्रहार करेगा। याचिकाकर्ता द्वारा दलीलों में लगाए गए आरोपों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

6. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि तत्काल मामले में राजेंद्र कछवा नामक व्यक्ति ने प्रतिवादी संख्या 1 और 12 की ओर से अपनी अधिकार प्रस्तुत की है, जिसकी संबंधित पीठासीन अधिकारी के साथ मिलीभगत है और इस संबंध में जालौर के बार ने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की है। पीठासीन अधिकारी के आचरण के संबंध में बार के सदस्यों द्वारा राजस्थान के

माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस प्रकार प्रस्तुत की गई शिकायत की एक प्रति तैयार संदर्भ के लिए प्रस्तुत की जा रही है और इसे अनुलग्नक-05 के रूप में चिह्नित किया गया है।

7. यह भी उल्लेख करना उचित है कि तत्काल मामले में पीठासीन अधिकारी ने एन. डी. पी. एस. मामले में मोहम्मद परवेज को जमानत दे दी है, जिसमें उस व्यक्ति से बरामद मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से अधिक था और एक मामले में, जिसमें इस तरह के मामलों में, यह माननीय न्यायालय भी अभियुक्त को जमानत देने से बचता है और उस मामले में भी, श्री राजेंद्र कछावा भी अभियुक्त के वकील थे। दिनांकित 27.03.2023 आदेश और ए/डी दस्तावेजों की एक प्रति तैयार संदर्भ के लिए प्रस्तुत की जा रही है और इसे अनुलग्नक-06 के रूप में चिह्नित किया गया है।

8. कि बार के सदस्यों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत की गई शिकायत के साथ-साथ आदेश अनुलग्नक-5 के अवलोकन से, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पीठासीन अधिकारी-श्री. हारून की वकील श्री राजेंद्र कछवाह के साथ मिलीभगत है। और उसके कारण, वह विचाराधीन मामले की तात्कालिकता पर विचार नहीं कर रहे हैं और समन की तामील के अभाव में मामले को स्थगित कर दिया है और समन पर इस रिपोर्ट के केवल एक संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह संबंधित या उसके परिवार के सदस्य पर दिया गया है, जो वयस्क थे और सामान्य नियम (सिविल) के अनुसार, परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य पर किसी भी तामील प्रभाव को पर्याप्त तामील के रूप में माना जा सकता है और तामील को पर्याप्त नहीं मानते हुए, नीचे

की विद्वत अदालत इसकी तात्कालिकता पर विचार किए बिना मामले की कार्यवाही कर रही है और दूसरी ओर, यहाँ उत्तरदाता संबंधित मंदिर से पूरी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, निम्न न्यायालय की ओर से निष्क्रियता से व्यथित होने के कारण, विनम्र याचिकाकर्ताओं के पास कोई वैकल्पिक और प्रभावी उपाय नहीं बचा है कि वे मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए या एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित आधारों के बीच तत्काल मामले में उचित अंतरिम आदेश पारित करने के लिए इस माननीय न्यायालय से संपर्क करें।

13. इस अदालत ने आगे पाया कि ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 4852 में रिपोर्ट किए गए कृष्ण प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी गलत आदेश देता है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई न्यायिक अधिकारी ऐसे आदेश पारित करता है जो तय किए गए कानूनी मानदंडों के खिलाफ हैं, लेकिन इस तरह के आदेश पारित करने के लिए किसी भी बाहरी प्रभाव का कोई आरोप नहीं है, तो उच्च न्यायालय को ऐसी सामग्री को प्रशासनिक पक्ष में दर्ज करना चाहिए और इसे संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। प्रासंगिक पैरा निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"16. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से यह संकेत नहीं दे रहे हैं कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी गलत आदेश देता है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यदि

कोई न्यायिक अधिकारी ऐसे आदेश पारित करता है जो तय किए गए कानूनी मानदंडों के खिलाफ हैं, लेकिन इस तरह के आदेश पारित करने के लिए किसी भी बाहरी प्रभाव का कोई आरोप नहीं है, तो उच्च न्यायालय को ऐसी सामग्री को प्रशासनिक पक्ष में दर्ज करना चाहिए और इसे संबंधित न्यायिक अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। संबंधित न्यायिक अधिकारी के कैरियर की प्रगति पर विचार करते समय इन मामलों को ध्यान में रखा जा सकता है। एक बार जब गलत आदेश पर ध्यान दिया जाता है और वे सेवा रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं तो इन्हें चयन ग्रेड, पदोन्नति आदि से इनकार करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है और यदि गलत या अवैध आदेशों का निरंतर प्रवाह होता है तो उचित कार्रवाई नियमों के अनुसार न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना होगा। हम फिर से दोहराते हैं कि जब तक कदाचार, बाहरी प्रभाव, किसी भी प्रकार की संतुष्टि आदि के स्पष्ट आरोप नहीं हैं, तब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल इस आधार पर शुरू नहीं की जानी चाहिए कि न्यायिक अधिकारी द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है या केवल इस आधार पर कि न्यायिक आदेश गलत है।"

14. इस अदालत ने यह भी पाया कि प्रो. अब्दुल गनी भट बनाम श्री मलिक शब्बीर अहमद के एक अन्य मामले में, [561-ए नंबर 236/2012 ने 21.12.2017 पर फैसला सुनाया], माननीय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर पीठ ने कहा हैः "18. यह मौलिक है कि यदि कानून के शासन का कोई अर्थ और विषय-वस्तु होना है, तो न्यायालय या किसी वैधानिक प्राधिकरण के अधिकार और

उनमें जनता के विश्वास को हिलाने, कम करने और कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उच्चतम से निम्नतम तक न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले न्यायालयों और सभी न्यायाधिकरणों को, उनके संविधान द्वारा, न्याय के प्रशासन से सीधे जुड़े कार्यों को सौंपा गया है। यह उन सभी की अपेक्षा और विश्वास है, जिनके पास उस न्यायालय या न्यायाधिकरण में व्यवसाय है या होने की संभावना है, जिसे बनाए रखा जाना चाहिए ताकि न्यायालय/न्यायाधिकरण अपने सभी कार्यों को उच्च स्तर की ईमानदारी और भय, पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के बिना कर सके। न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारी/प्राधिकारी के चरित्र, क्षमता या अखंडता पर मानहानिकारक आक्षेप लगाना न्यायालय/प्राधिकरण की गरिमा को कम करता है और लोकप्रिय दिमाग में अविश्वास पैदा करता है और न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में लोगों के विश्वास को बाधित करता है, जो वादियों के लिए उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा में प्रमुख महत्व का है। न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारी/प्राधिकार की सुरक्षा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करने से न्यायपालिका की संस्था की रक्षा के लिए दी जाती है। इसलिए, सुरक्षा निडर महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए है। न्यायिक अधिकारी/प्राधिकारी पर क्षम्य सीमा से परे कोई भी अपमानजनक, आक्रामक, डराने-धमकाने वाला या दुर्भावनापूर्ण हमला, न्यायालय/न्यायाधिकरण को बदनाम करने के बराबर है, जो न केवल इसकी अवमानना के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, बल्कि मानहानि या मानहानि और व्यक्तिगत या सामूहिक मानहानि के लिए भी

उत्तरदायी है। इसलिए, न्यायालय/न्यायिक अधिकारी या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण की गरिमा का रखरखाव न्यायिक समीक्षा में अंतर्निहित कानून के शासन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। न्यायिक अधिकारी/ वैधानिक अधिकारियों के खिलाफ कोई भी अनावश्यक बयान या आरोप, न्यायालय की सत्यनिष्ठा पर आक्षेप लगाते हुए, न्यायालय या न्यायाधिकरण को बदनाम करने या न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधिकार या महिमा के समर्थन के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने को उचित ठहराएगा। न्यायिक अधिकारी (अधिकारियों) के खिलाफ वादी द्वारा निराधार आरोप उनके अधिकार को कमजोर करता है और न्याय के उचित वितरण में जनता के विश्वास को बेरहमी से हिलाता है। न्याय की धारा को शुद्ध और निर्बाध बनाए रखने के लिए न्यायिक अधिकारी की गरिमा या अधिकार की रक्षा करना आवश्यक है। न्यायिक अधिकारी/प्राधिकारी को इस तरह के डराने वाले हमलों के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए पीठासीन अधिकारी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना न्यायालय/वैधानिक प्राधिकरण को बदनाम करने के बराबर है।

19. मेरी राय में, याचिकाकर्ता के मामलों से निपटने में दोनों विद्वान मजिस्ट्रेटों द्वारा सही दृष्टिकोण अपनाया गया है और विद्वान मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेश, निश्चित रूप से, "न्यायिक प्रकृति के कृत्यों" के दायरे में आते हैं, इसलिए, याचिकाकर्ता की किसी भी शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ किसी भी तरह से आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। "

15. इस अदालत ने आगे पाया कि (2022) 0 (एससी) 1609

में रिपोर्ट किए गए अनुपम घोष और अन्य बनाम फैज मोहम्मद और अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ न्यायिक पक्ष से कुछ आदेश पारित किए गए थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस न्यायालय ने वह आदेश पारित किया था, वह प्रभावित था। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"3. जिन आधारों पर कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की गई है, उनमें से एक यह है कि याचिकाकर्ताओं का मानना है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही है और प्रतिवादी स्थानीय बड़े होने के नाते स्थानीय न्यायालय को प्रभावित करने में सक्षम हैं। हम इस तरह के रुख और उस आधार की निंदा करते हैं जिस पर कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की जाती है। केवल इसलिए कि कुछ आदेश न्यायिक पक्ष से पारित किए जाते हैं (वर्तमान मामले में निष्पादन कार्यवाही में) जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश पारित करने वाला न्यायालय प्रभावित था। यदि याचिकाकर्ता किसी न्यायिक आदेश से व्यथित हैं, तो उचित उपाय इसे उच्च मंच के समक्ष चुनौती देना होगा। लेकिन केवल इसलिए कि उनके प्रतिकूल कुछ आदेश न्यायालय द्वारा पारित किए जाते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायिक पक्ष के आदेश प्रभाव में पारित किए जाते हैं। आजकल, न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की प्रवृत्ति है जब भी किसी वादी के खिलाफ आदेश पारित किए जाते हैं और आदेश संबंधित वादी को पसंद नहीं आते हैं। हम इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं। यदि

इस तरह की प्रथा जारी रहती है, तो यह अंततः न्यायिक अधिकारी का मनोबल गिरा देगा। वास्तव में, इस तरह के आरोप को न्याय के प्रशासन में बाधा डालने वाला कहा जा सकता है।"

16. इसके अलावा, इस अदालत ने यह भी पाया कि न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 की धारा 1 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करती हैः-"1. न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अधिकारियों, सद्भावना से किए गए आधिकारिक कार्यों और वारंट और आदेशों को निष्पादित करने वाले अधिकारियों के मामले में गैर-देयता।-कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, शांति के न्यायाधीश, कलेक्टर या न्यायिक रूप से कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति अपने न्यायिक कर्तव्य के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए या करने का आदेश दिए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी दीवानी न्यायालय में मुकदमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह उसके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर हो या न होः बशर्ते कि वह उस समय सद्भावना से मानता था कि उसके पास शिकायत किए गए कार्य को करने या आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है; इस अदालत ने कहा कि इस धारा में इस सिद्धांत के आधार पर न्यायाधीशों की प्रतिरक्षा का सामान्य कानून नियम शामिल है कि एक पद धारण करने वाला व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करने की स्थिति में होना चाहिए और क्या याचिकाकर्ताओं ने पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगाते हुए वैकल्पिक अनुरोध किया है कि मामले को जिला न्यायाधीश, जालौर से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तरह की प्रथा की निंदा की जाती है और यदि विद्वान

जिला न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायिक आदेश याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य नहीं है, तो उनके लिए न्यायिक पक्ष में इसे चुनौती देने का अधिकार है। वकीलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संयम बनाए रखें और पीठासीन अधिकारी के खिलाफ आरोप न लगाएं।

17. नीचे दिए गए विद्वत न्यायालय के निष्कर्षों के साथ पढ़ी गई उपरोक्त चर्चा के परिणाम के रूप में, दिनांकित 04.11.2023 (अनुलग्नक-4) में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार, तत्काल रिट याचिका, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, लागत के साथ खारिज कर दी जाती है। स्थगन आवेदन के साथ-साथ अन्य सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी खारिज कर दिए जाते हैं।

18. याचिकाकर्ता को राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, जोधपुर के समक्ष Rs.10,000/- की लागत जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

(डॉ. नूपुर भाटी), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।